WELCOME C I R C U L A R VERSION 1.1

W.E.F.
15 AUG. 2011

प्रस्तवना :

होस्टलर इस वेलकम सकुर्लर के पुर्व जारी किये सभी पुराने वर्जन निरस्त किये जाते हैं , यह तब तक प्रभावशाली रहेगा जबतक इसके बाद का नया वर्जन 1.2 रिलीज नहीं हो जाता ।

प्रवेश

1. होस्टलर के अभिभावक/पालक वार्डन से सम्पर्क बनाये रखें, प्रवेश लेते समय पालक/अभिभावक की सहमति आवश्यक है।

2. कोई भी ऐसा काम जिसे सामाजिक, धार्मिक, नैतिक, कानूनी या सांसकृतिक रुप से मान्यता प्राप्त नहीं है (वार्डन के अनुसार) उसे करने की मनाही है।

3. आपके सुझावों एवं शिकायतों के लिये रिसेप्शन पर एक रजिस्टर रखा गया है, उसमें अपने सुझाव/शिकायत दिनांक सहित दर्ज करें। सामान्यतः 48 घंटे के अन्दर निराकरण न होने पर वार्डन 982-666-7010 से सम्पर्क करें, फिर सामान्यतः 24 घंटे इंतजार करे यदि उसके बाद भी यदि सुनवाई नहीं होती है तो होस्टल सुपरिन्टेडेन्ट श्री हर्ष गुप्ता को 98262-64131 पर सम्पर्क कर सकते है।

4. होस्टल में वाहन रखने की सीमित जगह है, वाहन की जानकारी वार्डन को प्रवेश लेते समय ही दें, अतिरिक्त वाहन बाहर खड़े करने होंगे, हालांकि चौकीदार रहता है, परन्तु बाहर खड़े वाहनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होस्टल मैनेजमेन्ट की नहीं है।

5. होस्टल में प्रवेश लेते ही, अपना नाम, रुम नम्बर गार्ड एवं चारो बाईयों को बता दें।

6. पत्राचार के लिये निम्न प्रकार से पता दें :-

    आपका पूरा नाम
    कमरा नं. ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ
    लेडी श्रीराम होस्टल,
    मस्जिद वाली गली, ललितपुर कॉलोनी,
    लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.)

7. सोने चांदी की या नगीनों की ज्वैलरी इत्यादी कमरे मे कतई न रखे अपने पास तीन हजार से ज्यादा कैश न रखे यदि कैश ज्यादा हो तो वार्डन पर रखवा कर प्रिन्टेड रसीद प्राप्त करे। अन्य कीमती सामान हमेशा ताले चाबी वाली अलमारी में रखें। खोने अथवा चोरी चले जाने पर होस्टल मैनेजमेन्ट की बिलकुल जिम्मेदारी नहीं है, परन्तु होस्टल वार्डन को जॉच करने का पूछताछ करने एवं तलाशी इत्यादी लेनें का अधिकार है । वार्डन की इजाजत के बिना कोई भी हॉस्टलर पुलिस को सूचना नहीं देगी।

8. होस्टल में प्रवेश लेते ही संबंधित सप्लायर से अपना भोजन एवं नाश्ते का टिफिन बंधवा लें। जल्दी ही होस्टल मे मैस की व्यवस्था के लिये 80 प्रतिशत छात्राओं की सहमति ली जाना है, उसके हो जाने के बाद सभी टिफिन सप्लायरो का प्रवेश बन्द कर दिया जायेगा इससे भोजन की गुणवत्ता में बहुत सुधार होगा गर्म ताजा खाना मिलेगा परन्तु खर्च भी लगभग 16000रू. प्रतिछात्रा प्रतिवर्ष आयेगा इसे सालाना एक साथ ही लिया जाना प्रस्तावित है क्योंकि अगर इसे मासिक करेगे तो खर्च 1500 रू. प्रतिमाह आयेगा परन्तु यह तभी होगा, जब 80 प्रतिशत छात्रायें इस प्रस्ताव से सहमत होंगी ।

<u>अनुशासन</u> :

9. होस्टल का मुख्य द्वार सर्दीयों मे ठीक 8:00 बजे एवं गर्मीयों मे 8.30 पर बंद कर दिया जाता है, किसी भी होस्टलर को यदि दर्शाये गये समय के बाद आना हो तो वह रजिस्टर में कारण सहित लिख कर जायेगी अन्यथा उन्हें प्रवेश (बिना वार्डन की इजाजत के) नहीं दिया जायेगा।

10. कोई भी पुरूष, चाहे वह किसी होस्टलर या स्टाफ का सगा भाई पति अथवा पिता हो, होस्टल में बिना वार्डन की इजाजत के दाखिल नहीं हो सकेगा।

11. होस्टल में शोर मचाना मना है आवाज लगाकर किसी को न बुलावें, इन्टरकॉम का उपयोग करें। ऊँची आवाज में संगीत इत्यादी न बजाये। टिफिन सप्लायर से टिफिन का लेन-देन पुराने टी.वी.रूम(008 उर्फ 408) के सामने में करें ।

12. अधोवस्त्र सिर्फ बाथरुम के भीतर ही सुखाये, अगर आपके बाथरुम में कपड़े टांगने की जगह नहीं हो तो शिकायत रजिस्टर में लिखें।

13. होस्टल में पुरुष मित्रों का मिलने आना पंसद नहीं किया जाता है। प्रवेशपत्र में लिखे गये लोगो से ही मुलाकात की जा सकती है, यह मुलाकात संक्षिप्त (लगभग 15 मिनट) होनी चाहिये । मुलाकात के लिये वार्डन कार्यालय में शाम 5:00 से 8:00 बजे तक का वक्त मुकर्रर किया गया है। कृपया ख्याल रहे कि आपके पुरूष मित्र आपको हॉस्टल से लेने एवं हॉस्टल तक छोड़ने न आयें । एवं हॉस्टल के बाहर गली में खड़े होकर किसी से भी बात न करें ।

14. यदि रुम पार्टनर को आपकी किसी सहेली/परिचित से आपत्ती है, तो उन्हें रुम में न लायें।

15. अन्य होस्टलर से विवाद होने पर आपस में या सीनियर्स से मसला हल करवा लें, निराकरण न होने पर ही वार्डन से सम्पर्क करें।

16. सामान्यतः वार्डन को आप सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक बेरोकटोक फोन कर सकते है , उनका होस्टल में प्रतिदिन राउन्ड होता है इस बीच आप उनसे मिल सकते हैं । मोबाइल पर पूर्व समय लेकर आप कार्यालय मे श्री हर्षवर्धन गुप्ता जी से भी मिल सकते है।

17. अनेकानेक पुरुष मित्रों के बारम्बार फोन आने को या मिलने आने को कतई अच्छा नहीं समझा जाता है। स्वयं विवेक से काम लें।

18. होस्टल में प्रवेश देने का अधिकार वार्डन के पास सुरक्षित है, अतः वार्डन बिना कारण बताये किसी भी होस्टलर को सात दिवस के भीतर होस्टल खाली करके जाने का निवेदन कर सकती है, ऐसी दशा में होस्टलर को होस्टल छोड़ना होगा। गंभीर अनियमितता के दोषी व्यक्ति को तत्काल भी निकाला जा सकता है।

19. घर जाते समय या रात्रि 8 बजे के बाद हॉस्टल से बाहर जाते समय रजिस्टर में अपने कमरा नं. के पेज पर, कहाँ जा रहे है, कितने बजे तक आयेंगे और यदि वहाँ का फोन नं. है तो अपने नाम के साथ लिखकर ही जायें ।

20. न्यूज पेपर कमरे में ले जाना सख्त मना है । ग्राउण्ड फ्लोर पर कॉमन आयरन रूम में बैठकर पढ़े, पढ़ने के बाद वहीं रख दें ।

21. सीढ़ीयों पर बैठकर बातें/हिसाब करना मना है ।

22. रेगिंग सख्त मना है । रेगिंग में लिप्त छात्रा को तत्काल हटा दिया जायेगा ।

23. आपका फोन पर लंबी लंबी बातें करना या अपनी पर्सनल सहेली को कमरे मे बुलाकर लंबी लंबी बाते करना (चाहे वे कितनी भी धीमी आवाज में की जा रही हों) आपके रूम पार्टनर को बुरा लगता ही है, भले ही वो आपसे कहती न हो। इसलिये रूम के अन्दर से मोबाइल का इस्तमाल न करें, इसके लिये कोरिडोर मे बाहर निकल आयें या छत पर चली जायें ।

24. जिन कमरों के अन्दर बाथरूम है उन कमरेां की 1 चाबी हॉस्टाल में जमा करा दें । ताकि यदि आप गलती से नल चलता छोड जायें तो हम उसे बंद करा सके

25. हॉस्टल के बाहर सड़क सार्वजानिक है कृपया अपना-2 वाहन किनारे से खड़ा करें, ताकि आम लोगों को असुविघा न हो।

<u>फीस</u> :

26. होस्टलर्स की सहेलियों या परिचितों को होस्टल के अन्दर फ्री मे सोने की मनाही है, अतः फीमेल मेहमान के रात्रि विश्राम के लिये वार्डन से इजाजत ले लें। हॉस्टल में आपकी फीमेल मेहमान, वार्डन की अनुमति लेकर रूक सकती है (बशर्ते रूम पार्टनर को आपत्ती न हो) परन्तु इसका चार्ज रू.100/- प्रतिदिन देय होगा। इसमें अतिरिक्त बिस्तर की व्यवस्था नहीं की जा सकेगी Guest charge @ Rs 100 Per Night रात नौ बजे के बाद रूकने वाले सभी मेहमानों पर लागू होगा चाहे वे रात को ही चले जाये ।

27. जो होस्टलर्स मासिक फीस का भुगतान करते है,उन्हें हर माह की सात तारीख से पूर्व फीस चुका कर रसीद प्राप्त कर लेना चाहिये अन्यथा लेट फीस / 10 प्रति दिन देय होगी। पच्चीस तारीख तक लेट फीस सहित भुगतान न करने पर होस्टल खाली करना होगा।

28. एक साथ सालाना भुगतान करने पर लगभग 1800 रूपये डिस्काउन्ट दिया जाता है। छः माह का एक साथ भुगतान करने पर 600 रूपये डिस्काउंट दिया जाता है।

29. महीने के बीच में होस्टल छोड़ने पर या प्रवेश लेने पर भी पूरे महीने की फीस ही ली जाती है परन्तु सात तारीख के पूर्व छोड़ने पर न्यूनतम आधे महीने की फीस ली जाती है। इसी प्रकार 15 तारीख के बाद प्रवेश लेने पर न्यूनतम अर्थात आधे माह का किराया लिया जाता है ।

30. चाबी खो जाने पर कम्प्यूटर द्वारा नई चाबी बनवाने के 100 रू. लगते है, जो कि हॉस्टलर को वहन करने होंगे ।

31. **यदि होस्टल की कुछ सीटे खाली रहती है तो होस्टल को नुकसान होता है एवं इस नुकसान की भरपाई के लिये वर्तमान मे रह रही छात्राओ का किराया हर साल 1 सितम्बर से रिवाईज करना पड़ता है यदि हमसब मिलकर सभी सीटे भरी रखे तो रूम रेन्ट को रिवाईज न करना पड़े या बहुत बहुत कम(25 या 50रू.) ही करना पड़े इसलिये अपने होस्टल मे Member Get Member (MGM) Benefit दिया जाता है जो कि 300 रूपये प्रति सीट देय होता है इसका मतलब यह है कि यदि आप**

अपने सहेली या बहिन के लिये LSR में एक सीट की (कम से कम छः माह रूकने वाली लडकी के लिए) एडंवास बुकिग वार्डन को या हॉस्टल सुपरिनटेन्डेन्ट को सिर्फ और सिर्फ SMS के जरिये करायेगीं तो अपको अगले माह के रूम रेन्ट में 300 रूपये का डिस्काउंट दिया जायेगा। SMS करने से पहले वार्डन से बात करके यह सुनिशित कर ले कि सीटे खाली है या नहीं एवं किस किस रूम में कितनी कितनी सीटे खाली है। वैसे इसका डिस्प्ले वार्डन द्वारा हर महीने की सात तारीख को नोटिस बोर्ड पर लगया जाना चाहिये

नोट – हर साल 1 सितम्बर से पूरे हॉस्टल के हर कमरे के रूम रेन्ट को अलग–अलग रिवाईज किया जाता है,जरूरी नही है कि पूरे कमरों का किराया बढ़ाया ही जाये या सब कमरों का समान रूप से बढाया जाये। नये रूम रेन्ट का फैसला दो आधारो पर किया जाता है :–

(1) ग्वालियर के सभी होस्टलस का हर जुलाई माह मे सर्वे किया जाता है और किराये को प्रतियोगीयो से थोड़ा सा कम ही रखा जाता है ।

(2)सितम्बर के बाद, पूरे वर्ष मे नई भर्ती होने वाली एवं रूम शिफ्ट करने वाली छात्राओं का किराया थोडा थोडा बढता रहता है। इस अन्तर को सितम्बर मे पाट दिया जाता है यानि एक सर्कुलर के माध्यम से पूरे हॉस्टल के किराये मे समानता लाने की कोशिश की जाती है।

इसे सर्कुलर के माध्यम से पन्द्रह अगस्त से पहले डिसप्ले कर दिया जाता है जो कि हर होस्टलर को मान्य करना होता है, ताकि जिन्हे किराया स्वीकार न हो वे 31 अगस्त तक होस्टल छोड सके। बिना सर्कुलर के रेन्ट या अन्य किसी सुविधा की दर मे बढोत्तरी हॉस्टल में रह रही छात्राओं के लिये सामान्यतः नही की जायेगी यानि जिसने एक बार प्रवेश ले लिया उसका किराया सिर्फ साल मे एक बार 1 सितम्बर से ही बढेगा।

1September 2011 तक स्थान ग्रहण कर चुकी छात्रओं के लिये अगले एक साल का टैरिफ

Old Building

Room no.	Capicity	Old Rent	New Rent. Appl.
204, 205	SingleSeater	2000	2200
008,003,004,101,202	DoubleSeater	1900	2000
103,104,201,203	Three Seater	1600	1700

New Building

Room no.	Capicity	Old Rent	New Rent. Appl.
105,106,206,308,220	Sing. Seater	2500	2750
001,002,102,211,221,222,303, 304,305,306,307	Double Seater	2000	2100
107,108,109,208,209,210,212,223,224	three Seater	1800	1900
006,301	Four Seater	1600	1700
New Air Conditioned Room	Single Seater	-	4000
New Air Conditioned Room	Two Seater	-	2500

पार्किंग :- 100रू.प्रति दोपहिया वाहन।

पर्सनल इन्टरनेट कनेक्शन :- 300रू. प्रति कम्प्यूटर प्रतिमाह अनलिमिटेड

बिजली :

32. हमारा जेनरेटर पूरे हॉस्टल की हर चीज को नही चला पता है इसलिये हर कमरे मे दो प्रकार के बिजली के सर्किट है। एक सर्किट वह है जो कि जेनरेटर पर भी चलता है इसे जेनरेटर सर्किट (या मीटर्ड सर्किट) कहते है इस सर्किट पर आपकी लाइटे पखें एग्जॉस्ट एवं चार्जिग पान्इट इत्यादि है, इसी सर्किट पर मीटर लगाये गये है जिनका बिल रीड़िग के हिसाब से हर हॅास्टलर को हर माह मिलेगा। यानि कमरे कि कुल खपत को ,बराबर बराबर दोनो , तीनो या चारो छात्राओ में बॉट दिया जायेगा। यदि कोई छात्रा पूरे महिने नही रही है तो ही कुल खपत को, सिर्फ रह रही छात्राओं में बाटा जायेगा, 5,10,15,20,25 दिन का कोई हिसाब हॉस्टल की तरफ से नही होगा उस रूम की छात्राये अगर अपास मे समझना चाहे तो समझ लें । विघुत की दर फिलहाल पांच रूपये पैतालीस पैसे प्रति यूनिट चल रही है (1000 वॉट का कोई उपकरण जब एक घंटे तक चलता है तो एक यूनिट बिजली खर्च होती है , यानि अगर 100 वॉट का बल्व जब 10 घंटे तक लगातर जलेगा तब 1 यूनिट बिजली खर्च होगी यानि जब 40 वॉट की टयुबलाइट 25 घंटे जलेगी या 50 वॉट का सिलिंग फेन 20 घंटे चलेगा या 12 वॉट की सी एफ एल जब लगभग 90 घंटे तक जलेगी तो 1 यूनिट बिजली खर्च होगी जिसका वर्तमान मूल्य 5.45 पैसे है तीन हजार वॉट का रूम हीटर या ए.सी. एक घंटे मे तीन यूनिट बिजली जलाता है) ।
दूसरा सर्किट जिस पर आपका कूलर चलता है उसे नोन जेनरेटर सर्किट कहते है इस पर मीटर नही लगाये गये हैं बल्कि इस सर्किट पर इस्तेमाल किये जाने वाले उपकरणो (जैसे कूलर) की बिजली फिक्स्ड रेट से चार्ज की जाती है ।

33. जेनरेटर पर एग्जास्ट, कम्प्यूटर फ्रिज आदि न चलायें। जाते समय बिजली बंद करके जायें बिजली का सदुपयोग करें। मेन स्विच हर कमरे के बाहर लगा है उसे बंद कर दें।

34. अपना मीटर चेक करते रहे यदि खराब हो गया है (लाल लाइट बन्द है) तो तुरन्त सूचित करे,यदि जानबूझकर आपने मीटर से छेडछाड नही कि है तो मीटर बदलवाने का कोई खर्च आपसे नही लिया जायेगा। माह के अंतिम दिन रीडिग नोट करते वक्त यदि मीटर खराब पाया गया तो पिछले माह के खपत के अनुसार औसत बिल दिया जायेगा ।

35. अपने कमरे के भीतर प्रेस,लेपटॉप, गीजर , फ्रिज, इलेक्ट्रिक केटली, रूम हीटर इत्यादि वॉर्डन से इजाजत लेकर ही रखें एवं इनको मीटर्ड सर्किट पर लगा कर रखे परन्तु उस समय प्रयोग न करे जब जेनरेटर चल रहा हो क्योंकि ये उपकरण खराव हो सकते है, कारण यह है कि जेनरेटर पर बहुत ज्यादा वोल्टेज फ्लकचुऐशन होता है और करन्ट भी 50 साइकल पर सेंकेड का नही मिलता है । प्रेस रुम में ही प्रेस करें तो बेहतर होगा। कोई भी निजी विद्युत उपकरण का इस्तेमाल होस्टल वार्डन को बिना बताये न करें।

36. टी.वी. या ए.सी. स्वयं होस्टलर अपना लगा सकती है। इसे भी मीटर्ड सर्किट यानी कि जेनरेटर सर्किट पर ही लगाये, फायदा यह होगा कि यदि आप इनको जेनरेटर सर्किट(मीटर्ड सर्किट) पर चला रहे है तो आपको कोई फिक्सड चार्ज नही देना होगा, जितनी बिजली जलेगी उतनी ही मीटर मे अपने आप रिकार्ड

होगी यानि कि आप बिजली का खर्च कन्ट्रोल कर सकते है। परन्तु इन्हे यदि नॉन जेनरेटर सर्किट पर लगाया जयेगा तो इसके लिये अतिरिक्त फिक्सड बिजली व्यय प्रति छात्रा पर निम्न प्रकार है।

	Air Conditioner	**T.V.**
Single	1500.00	200.00
Double	1250.00	100.00
Triple	1000.00	75.00

लेपटॉप या कम्प्यूटर के लिये फिक्सड बिजली चार्ज 100/- प्रति पी.सी. है एवं फ्रिज के लिये फिक्सड चार्ज 150/- प्रति फ्रिज (65 लीटर) । परन्तु यदि आप इनको जेनरेटर सर्किट यानी कि मीटर्ड सर्किट पर चला रहे है तो आपको कोई फिक्सड चार्ज नही देना है। सभी हॉस्टलरो को हमारी सलाह है कि उपरोक्त पान्इट न. 35 एवं 36 में लिखे गये सभी उपकरणों को जेनरेटर सर्किट यानी कि मीटर्ड सर्किट पर ही चलाये ताकि आपको अलग से कोई फिक्सड चार्ज नही देना पडे और खर्च आपके कन्ट्रोल मे रहे।

चूकिं कूलरो को लोड जेनरेटर नही सभाल सकता है इसलिए मजबूरी मे कूलर को नॉन जेनरेटर सर्किट पर ही रखा गया है। कूलर जितने महीन चलेगा उतने ही महीने का चार्ज लगेगा परन्तु महीने के बीच मे कूलर को न तो चालू कराया जा सकेगा नाहीं बन्द कराया जा सकेगा । चालू बन्द करने के लिये रिसेप्शन पर रखे रजिस्टर में निर्देश हर माह की 27 तारीख तक लिख दे ताकि 30 से पहले चालू या बन्द हो सके। चार्ज निम्न प्रकार है, और ये चार्ज ऑक्यूपेन्सी के आधार पर है यानि यदि डबल सीटर रूम है एक सीट खाली पडी है तो चार्ज सींगल सीटर के अनुसार लगेगा एवं ट्रिपल सीटर रूम में यदि दो लडकिया रह रही है तो चार्ज डबल सीटर के अनुसार लगेगा ।

	Cooler
Single	250.00
Double	200.00
Triple	150.00

ग्वालियर शहर में कुछ टेन्ट वाले ए.सी. किराये पर भी देते हैं जिसका किराया निम्न है -
ए.सी. - 10000 रु. प्रति सीजन (15 फरवरी से 15 सितम्बर तक)

37. सामान्यतः जेनरेटर दिन में ऑफिस के लिये चलाया जाता है, शाम 6 बजे के बाद हॉस्टल में जेनरेटर से लाईट दी जाती है ।

38. हॉस्टल में केवल ट्यूबलाईट एवं सी.एफ.एल. ही लगायें । सार्वजनिक जगहों पर अलग तरह के सी.एफ. एल. लगाये गयें है, वैसी सी.एफ.एल. कमरों में न लगायें ।

नोटः- सभी छात्राओं से निवेदन है कि यदि वे होस्टल की बाइयों से अपने कमरों की सफाई, कपडे एवं बर्तनो की घुलाई इत्यादि कराती हैं तो बाइयो को हर माह की 7 ता. तक अवश्य भुगतान कर दें, या 1/- प्रतिदिन के हिसाब से अतिक्ति जोड़ कर देंरी से भुगतान कर सकती हैं, यह लेन -देन बाइयों से सीधे ही करें।

पानी :

39. बाथरूम में स्वयं की बाल्टीयों में पानी सदा भरा रखें बोरिंग पम्प चलाने का निश्चित समय है। सुबह 5:00 से पूरी टंकी भरने तक एवं शाम 5:00 बजे से पूरी टंकी भरने तक।

40. कमोड को चेक करते रहे, पानी रिसता दिखाई दें तो तुरन्त शिकायत करें।

41. वाटर कूलर का पानी पीने के लिये पकाने के लिये और चाय के लिये ही इस्तेमाल करें। उससे कपड़े धोना, बर्तन धोना, नहाना मना है।

42. हमारे पास 1000 लीटर गर्म पानी को स्टोर करने की क्षमता है अतः सभी गीजर सुबह 2:00 बजे से सुबह 11:00 बजे तक ही चलाये जायेंगे बंद होने के बाद सामान्यतः 2 घन्टे तक गर्म पानी मिलता रहता है। अतः सर्दियों में सुबह 1:00 तक गर्म पानी से नहाना हो तो नहा लें। उसके बाद गर्म पानी नहीं मिल पायेगा। अगर बिजली का रेग्यूलर कटऑफ होता है तो समय को एडजस्ट करना पडेगा

निर्गम :

43. कॉशन मनी या B.M.F. वापस लेने से पूर्व एस.टी.डी./भोजन/बाई इत्यादी का बकाया चुकाना होगा। रूम में लगे सभी उपकरण चालू हालत में होने चाहिए ।

44. सालाना फीस जमा करने वालों के द्वारा होस्टल बीच में छोड़ना पड़े तो मासिक फीस के आधार पर फीस जोड़ी जाती है और शेष राशि वापस कर दी जाती है उदाहरण के लिये कमरे का मासिक किराया रु. 1,200/- है परन्तु उसी कमरे का सालाना किराया रु. 12,000/- है और होस्टलर 4 माह बाद जाना चाहता है तो रु. 1,200/- प्रतिमाह की दर से चार माह का कुल रु. 4,800/- काट कर शेष राशि 7,200/- वापस कर दिया जायेगा।

अन्य सुविधाएँ :

45. होस्टल से रात 9:00 से 12:00 के बीच फ्री में लोकल कॉल लगाये जा सकते है। रात 12:00 बजे के बाद पीबीएक्स द्वारा ऑटोमेटिकली डायलिंग बंद कर दी जाती है। एक कॉल 3 मिनिट का होता है उसके बाद ऑटोमेटिकली कट जाता है।

46. होस्टल के इनकमिंग टेलीफोन नं. 4073216, 4073217 एवं 4085562, 4085730 है, इन पर एक बार कॉल आने पर 5 मिनट तक बात की जा सकती हैं, बार-बार कॉल ट्रान्सफर नहीं किया जाता है। इनकमिंग कॉल के लिये शाम 10:30 बजे तक समय निर्धारित है। काल करने वाले को अपना नाम, होस्टल का नाम, कमरा नं., इन्टरकाम नं. बताना आवश्यक है।

47. छत पर पार्टी करने से पहले वार्डन को सूचना दें।

48. निजी बाथरूम मे स्वयं के साबुन से कपड़े धुलवाने के लिये बाईयों की सेवायें ली जा सकती है, जिसका भुगतान होस्टलर्स उसे सीधे ही करें, ड्रायक्लीनिंग के लिए अथवा लाउन्ड्री भेजने के लिए ''राजू धोबी'' से सीधे सम्पर्क करे इन लागो के संबंध में वार्डन से शिकायत न करें।

49.होस्टलर्स अपने कमरे और वर्तनों की सफाई स्वयं करें या इसके लिये ''बाई'' से पृथक से तय किया जा सकता है। परन्तु इन कर्मचारियों से उनकी होस्टल डयूटी टाईम में पर्सनल काम न करवाये, अन्यथा वे होस्टल की सफाई पर ध्यान नहीं दे सकेंगी, अर्थात् उन्हें पार्ट टाईम जॉब करने की इजाजत दी गई है पर होस्टल की तरफ से उन्हें लॉबीयों एवं बाथरुमों की सफाई के लिये वेतन दिया जाता है। सुबह गेट पर डयूटी करने के लिये 8:00 से शाम 1:00 बजे तक बाई रहेगी जो कि सिर्फ गेट पर ही रहेंगी अतः वे कमरो मे काम नहीं करेंगी।

50.सालाना 31 दिसम्बर की पार्टी में ''Best Room Award**] ^^Best Disciplined Award**, ^^Best Studies Award**] ^^Best Relationship Award**, ^^Best Dressed Girl Award**] ^^Miss. L.S.R. Award** इत्यादि दिये जाने का प्रस्ताव है जिनका आकलन वार्डन द्वारा पूरे साल भर किया जायेगा। (फिलहाल तमाम अपत्तियों के कारण यह प्रोग्राम संसपेन्ड है)

51. यदि आप अपने स्वयं के उपकरण को हॉस्टल स्टाफ से ठीक कराना चाहते है तो अतः शिकायत दर्ज कराते समय Paid Service लिखना न भूलें, परन्तु ऐसा सिर्फ अपनी रिस्क पर अपने सामने ही करायें, यदि आपका उपकरण ठीक होने के बजाय उल्टा ज्यादा खराब हो जाय तो हॉस्टल प्रशासन या ठीक करने की कोशिश करने वाला स्टॉफ जिम्मेदार नही होगा। इस तरह की रिपेयरिंग का भुगतान सीधे ठीक करने वाला स्टॉफ को ही दे

52. वार्षिक रख-रखाव, पेन्ट इत्यादि फ्री किया जाता है।

53.यदि आपके पास मोबाइल है तो उसकी सूचना वार्डन को दें यदि नम्बर बदल जाये तो वार्डन को तत्काल सूचित करे , दो-तीन पक्की सहेलियो के नम्बर भी वार्डन को देदें ताकि आपका नम्बर बन्द होने की दशा मे उनको सूचित किया जा सके ।

54.टी.वी. रुम रात 11:30 बजे तक, उसके बाद टी.वी. खोलना मना है।

<u>भोजन</u> :

55.किचिन सिर्फ चाय नाश्ता बनाने के लिये है अनाज या चावल न पकायें।

56.भोजन की शिकायत अपने सप्लायर से करें, वार्डन से नहीं ।

57.फिलहाल भोजन बाहर से टिफन द्वारा मंगाया जाता है। जब भी कभी हम अपना किचिन/मेस शुरु करेंगे तब सभी होस्टलर्स के लिये आवश्यक होगा कि वे होस्टल की मेस/किचन में ही भोजन करें अतः बाहर के भोजन को बंद कर दिया जायेगा।

58.खाना खाने के बाद अपना खाली टिफिन तुरन्त रिसेप्शन रख दें ।

59.टिफिन कई टिफिन सेन्टरों से आता है जिनको चेक करके आप अपना मनपसन्द टिफिन वाला चुन सकते है टिफिन सेन्टर का पूरा बकाया हर माह की 7 तारीख तक आवश्यक रूप से भुगतान कर दें । टिफिन सेन्टर वालों की भुगतान संबंधी शिकायत वार्डन तक न पहुँचे ।

सफाई एवं स्वास्थ्य :

60.होस्टल में सफाई रखना सभी के लिये आवश्यक हैं, कूडा, कचरा डस्टविन में ही डालें। कहीं भी गन्दगी दिखें, तो बाई को बतायें ।

61.सेनेटरी नैपकिन्स बाथरुम में रखी हुई कवर्ड डस्टविन में डालें, कमोड में कदापि फ्लश करें, अन्यथा सीवर लाईन चोक हो जायेगा।

62.यदि किसी को सक्रांमक बीमारी हो जाये तो वह तत्काल होस्टल छोड़ देवे। ठीक होने तक एल.जी. /अस्पताल में रहें।

63.दीवारों पर न लिखें, न ही पॉस्टर चिपकायें ।

64.कमरे के पर्दे धोने/धुलवाने की जिम्मेदारी होस्टलर की होगी, पर्दे साफ रखना आवश्यक है।

<u>नोट - 1</u>

65.शेष नियम समय-समय पर जो भी बनाये जायेंगे, उनका पालन करना अनिवार्य होगा ।

<u>नोट - 2</u>

66.उपरोक्त सभी अनुशासन बनाये रखने के लिये होस्टल वार्डन के पास एक <u>''पेनल्टी रसीद बुक''</u> रखी गई है। उपरोक्त किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर वे पेनल्टी की रसीद काट सकती है। इस प्रकार पेनल्टी से जमा हुये रूपयों से साल में एक बार पार्टी दी जावेगी।

67.अक्सर देखा गया है कि, होस्टल खाली करते समय कुछ ट्यूबलाइट, सी.एफ.एल.,

कूलर पम्प, टोंटीयॉं इत्यादि-2 (कमरे का अन्दरूनी सामान) खराब या गायब पाया जाता है, बीच-2 में भी कमरे का इन्सपेक्शन करने पर कुछ चीजें चालू हालत में देखने को नहीं मिलती हैं। कमरे की अन्दरूनी मेन्टीनेन्स, मरम्मत की जिम्मेदारी हॉस्टलर की ही होती है और हर समय हर चीज चालू हालत में रहे एसी अपेक्षा की जाती है ,परन्तु ऐसा हो नही रहा था। इसलिये जून 2010 के बाद आपके कमरों के अन्दर होने वाली कोई भी रख-रखाव/मरम्मत होस्टल प्रशासन स्वयं करने लगा है। जरूरत पड़ने पर आपके कमरे को पेन्ट कराया जायेगा इसमें लगने वाले सामान व लेबर का भुगतान भी होस्टल प्रशासन स्वयं करेगा। इसलिये जून 2010 के बाद आयी छात्राओं से कॉशन मनी नही ली जा रही है उसके जगह 3000 रू. बिल्डिंग मेंटिनेंस फंड (BMF) लिया जाता है जो कि हर महीने 100 रू की दर से कम होता जाता है परन्तु 30 महीने मे BMF के खत्म हो जाने के बाद BMF दुबारा नहीं लिया जायेगा। जून 2010 के पहले आयी छात्राओं की कॉशन मनी पूर्व नियम के अनुसार जमा रहेगी। इस सेवा में गलती से या जानबूझकर पहुंचाई गई क्षति का भुगतान शामिल नहीं है।जिसका अंतिम रूप से निर्धारण होस्टल वार्डन करेंगी।

.

<u>सर्कुलर</u>

आग बुझाने के यन्त्र (सीज फायर) नीचे लिखे स्थान पर लगाये गये हैंः–

रूम	नं.स्थान
212	के पास
222	के पास
305	के सामने
203	के सामने
101	के पास

हॉस्टल के रिसेप्सन

घर के मेन गेट

(ई.सी. प्रवेश द्वारा)